न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 101/2019 (2019/00172) दर्ज दिनांक 24.09.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

संशोधित टाईटल

अनवान

श्री ओमप्रकाश पिता भगवतीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम

1/1. दीपक पिता ओमप्रकाश जोशी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/2. प्रशांत पिता ओमप्रकाश जोशी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/3. हर्षद पिता ओमप्रकाश जोशी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/4. मु0 पुष्पा पत्नि ओमप्रकाश जोशी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता भगवतीलाल ब्राह्मण, निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा।
2. हरलाल पिता होकम गाडरी, गायत्री नगर तहसील सहाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री कल्याण मल कुम्हार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–17.08.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गायत्रीगनर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 754 रकबा 0.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 83 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तंदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण 1 [illegible] 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित [illegible]ः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 101/2019 (2019/00172)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गायत्रीगनर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 754 रकबा 0.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 83 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner